अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ़एक्यू)- पीएमएवाई (शहरी) 2.0 आईएसएस

पीएमएवाई-यू 2.0 क्या है?

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0) का उद्देश्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/पीएलआई के माध्यम से पात्र परिवारों/लाभार्थियों को शहरी क्षेत्रों में किफायती घरों के निर्माण, खरीद या किराए पर लेने के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान करना है.

पीएमएवाई-यू 2.0 की कार्यान्वयन अवधि क्या होगी?

यह योजना 2024 से 2029 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए कार्यान्वित की जाएगी.

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पीएमएवाई-यू 2.0 में कैसे भाग ले सकते हैं?

योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (मोएचयूए) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद पीएमएवाई (यू) 2.0 में भाग ले सकते हैं.

इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं?

शहरी क्षेत्रों में रहने वाले ईडबल्यूएस/एलआईजी/एमआईजी वर्ग के परिवार, जिनके नाम पर या उनके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर देश में कहीं भी कोई पक्का घर नहीं है, वे पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत घर खरीदने/बनाने या किराए पर लेने के पात्र हैं.

क्या पीएमएवाई-यू के तहत सीमित लाभार्थी पीएमएवाई (यू) 2.0 के तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं?

नहीं, पीएमएवाई-यू के तहत स्वीकृत जिन घरों को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सिफारिश पर किसी भी कारण से 31.12.2023 के बाद सीएसएमसी द्वारा कम कर दिया गया है, उन लाभार्थियों को पीएमएवाई-यू 2.0 में घर स्वीकृत नहीं किए जाएंगे.

क्या कोई लाभार्थी पीएमएवाई -जी या पीएमएवाई-यू 2.0 में से लाभ प्राप्त करना चुन सकता है यदि उसका क्षेत्रीय विस्तार शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों के भीतर आता है?

लाभार्थी अपने क्षेत्राधिकार के आधार पर पीएमएवाई -जी या पीएमएवाई-यू 2.0 में से किसी एक में लाभ प्राप्त कर सकते हैं.

यदि मैंने पूर्व में आवास योजनाओं का लाभ उठाया है तो क्या होगा?

जिन आवेदकों ने पिछले 20 वर्षों में केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय स्वशासन की किसी भी आवास योजना का लाभ उठाया है, वे पीएमएवाई-यू 2.0 के लिए पात्र नहीं होंगे.

पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत पक्के घर की परिभाषा क्या है?

'पक्के' घर को एक ऐसा आवास माना जाता है जो सभी मौसमों में उपयोग के लिए उपयुक्त हो और जिसकी छत और दीवारें मज़बूत, आधुनिक और टिकाऊ सामग्रियों जैसे पकी हुई ईंटों, सीमेंट या चूने से भरे पत्थरों, सीमेंट कंक्रीट, लकड़ी, गैल्वेनाइज्ड आयरन (जीआई) शीट, एस्बेस्टस शीट, मशीन से बनी टाइलों आदि से बनी हों, चाहे फर्श कच्चा ही क्यों न हो.

इस योजना के तहत लाभार्थी परिवार की परिभाषा क्या है?

लाभार्थी को पति, पत्नी और अविवाहित बच्चों वाले परिवार के रूप में परिभाषित किया गया है.

इस योजना के लिए ईडबल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी की परिभाषा क्या है?

ईडबल्यूएस परिवारों को ₹3 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के रूप में परिभाषित किया गया है. एलआईजी परिवारों को ₹3 लाख से ₹6 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के रूप में परिभाषित किया गया है. एमआईजी परिवारों को ₹6 लाख से ₹9 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के रूप में परिभाषित किया गया है.

एक पूर्ण पक्के घर की संरचना क्या होनी चाहिए?

पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत एक नए पक्के घर में कम से कम 2 कमरे, रसोई और एक शौचालय/स्नानघर होगा.

पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत एक पक्के घर में क्या-क्या बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध हैं?

पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत एक पक्के घर में रसोई, शौचालय, बिजली और पानी का कनेक्शन जैसी बुनियादी सुविधाएँ अनिवार्य रूप से होंगी.

पीएमएवाई-यू 2.0 का कवरेज क्या है?

पीएमएवाई-यू 2.0 जनगणना 2011 के अनुसार सभी वैधानिक कस्बों और उसके बाद अधिसूचित कस्बों को कवर करता है. इसमें अधिसूचित नियोजन क्षेत्र और औद्योगिक विकास प्राधिकरणों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों, शहरी विकास प्राधिकरणों, या राज्य विधान के तहत ऐसे किसी भी प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र भी शामिल हैं जिन्हें शहरी नियोजन और विनियमन कार्य सौंपे गए हैं.

क्या नए अधिसूचित कस्बों को पीएमएवाई-यू 2.0 में शामिल किया जाएगा?

हाँ, पीएमएवाई-यू 2.0 के कार्यान्वयन अवधि के दौरान अधिसूचित कस्बों को भी इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा. जो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (मोएचयूए) से अनुमोदन के साथ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की राजपत्र अधिसूचनाओं पर आधारित होंगे.

क्या पीएमएवाई-यू 2.0 लाभार्थियों के किसी विशेष समूह पर केंद्रित है?

हाँ, यह योजना विशेष समूहों जैसे सफाई कर्मी, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएमस्वनिधि) योजना के अंतर्गत चिन्हित स्ट्रीट वेंडर और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत विभिन्न कारीगरों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों (बोसीडबल्यू), झुग्गी-झोपड़ियों/चॉल निवासियों और योजना के संचालन के दौरान चिन्हित अन्य समूहों पर भी केंद्रित है.

क्या योजना किसी सामाजिक समूह को प्राथमिकता प्रदान करेगी?

हाँ, इस योजना के अंतर्गत विधवाओं, दिव्यांगजनों, ट्रांसजेंडर, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों और अल्पसंख्यकों को भी प्राथमिकता दी जाएगी.

इस योजना के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्षेत्र क्या हैं?

पीएमएवाई-यू 2.0 को निम्नलिखित चार कार्यक्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा:

1. **लाभार्थी-आधारित निर्माण (बीएलसी)**
2. **साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी)**
3. **किफायती किराये के आवास (एआरएच)**
4. **ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस)**

योजना का लाभ उठाने के लिए कार्यक्षेत्र का चयन कैसे करें?

लाभार्थी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों/शहरी स्थानीय निकायों/कृषि ऋण संस्थानों की सहायता से या पीएमएवाई-यू 2.0 के एकीकृत वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा करके योजना के चार कार्यक्षेत्रों में से किसी एक को चुन सकते हैं.

लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत आवास के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं?

योजना के तहत निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले लाभार्थी, पीएमएवाई-यू 2.0 के एकीकृत वेब पोर्टल के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं.

योजना के तहत आवेदन पत्र के साथ कौन से दस्तावेज़ जमा करने होंगे?

लाभार्थी को अपने आधार कार्ड की प्रति, बैंक खाते का विवरण, निर्धारित प्रारूप के अनुसार पात्रता मानदंडों को पूरा करने का वचन आदि जमा करना होगा.

पीएमएवाई-यू 2.0 के विभिन्न खंडों के अंतर्गत स्वीकार्य घर का आकार क्या है?

बीएलसी/एएचपी,एआरएच, आईएसएस खंडों के अंतर्गत क्रमशः 45 वर्ग मीटर, 60 वर्ग मीटर, 120 वर्ग मीटर कार्पेट क्षेत्र तक के घरों को सहायता प्रदान की जाएगी. यह योजना बुनियादी ढाँचे के साथ-साथ कम से कम 30 वर्ग मीटर कार्पेट क्षेत्र वाले घरों के निर्माण को सहायता प्रदान करेगी.

कार्पेट क्षेत्र का क्या अर्थ है?

दीवारों के भीतर संलग्न क्षेत्र, कार्पेट बिछाने के लिए वास्तविक क्षेत्र. इस क्षेत्र में भीतरी दीवारों की मोटाई शामिल नहीं है.

पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत आवास की माँग का आकलन कैसे किया जाता है?

शहर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपयुक्त माध्यमों से आवास की माँग का आकलन करेंगे. मांग सर्वेक्षण के दौरान, शहरों में विशेष फोकस समूहों सहित सभी पात्र लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा.

पीएमएवाई-यू 2.0 का उद्देश्य आवास की सामर्थ्य को कैसे बढ़ाना है?

पीएमएवाई-यू 2.0 का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर, निम्न आय वर्ग (ईडबल्यूएस), निम्न आय वर्ग (एलआईजी) और मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) वर्गों के लिए वित्तीय सहायता और समर्थन प्रदान करके आवास की सामर्थ्य को बढ़ाना है, जिससे पात्र शहरी परिवारों के लिए घर बनाना/खरीदना/किराए पर लेना आसान हो जाता है.

इस योजना के तहत महिला सशक्तिकरण को कैसे बढ़ावा दिया जाता है?

योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, घर का स्वामित्व परिवार की महिला मुखिया के नाम पर या पुरुष सदस्य के साथ संयुक्त स्वामित्व में होना अनिवार्य है.

केंद्रीय क्षेत्र योजना और केंद्र प्रायोजित योजना में क्या अंतर है?

केंद्रीय क्षेत्र योजनाएँ वे हैं जो एक केंद्रीय एजेंसी द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं और केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित होती हैं. केंद्र प्रायोजित योजनाएँ (सीएसएस) वे हैं जो सीधे केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा वित्त पोषित होती हैं और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों या उनकी एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं.

क्या सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0) के अंतर्गत समाज के कमजोर वर्गों के लाभार्थियों को लाभ प्रदान करेगी जिसमें झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोग, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, विधवाएँ और विकलांग लोग शामिल हैं?

पीएमएवाई-यू 2.0 के योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत विधवाओं, एकल महिलाओं, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडरों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबद्ध व्यक्तियों, अल्पसंख्यकों और समाज के अन्य कमज़ोर और असुरक्षित वर्गों को प्राथमिकता दी जाती है. प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत चिन्हित सफाई कर्मियों, फुटपाथ विक्रेताओं और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत विभिन्न शिल्पकारों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, भवन एवं

अन्य निर्माण संबंधी श्रमिकों, झुग्गी-झोपड़ियों/चॉलों के निवासियों और पीएमएवाई-यू 2.0 के परिचालन के दौरान चिन्हित अन्य समूहों पर विशेष ध्यान दिया जाता है. योजना के दिशानिर्देश https://pmay urban.gov.in/pmay-u-2.0-guidelines पर उपलब्ध हैं.

सरकार यह कैसे सुनिश्चित करेगी कि एकीकृत वेब पोर्टल उपयोगकर्ता के अनुकूल हो और

सभी हितधारकों, विशेष रूप से सीमित डिजिटल साक्षरता वाले लोगों के लिए सुलभ हो?

योजना की निगरानी के लिए एक मजबूत और एकीकृत वेब पोर्टल विकसित किया गया है. यह वेब पोर्टल उपयोगकर्ता के अनुकूल है और सभी हितधारकों के लिए सुलभ है और इसमें लाभार्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने और वास्तविक समय के आधार पर अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने की सुविधा है. राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, शहरी स्थानीय निकायों/कार्यान्वयन एजेंसियों, लाभार्थियों और सभी संबंधित हितधारकों के पास सभी अपेक्षित जानकारी अपलोड करने की सुविधा होगी. बेहतर पहुँच और समावेशिता के साथ ऑफ़लाइन कार्यक्षमता और बहुभाषी समर्थन के साथ एक मोबाइल अनुकूल इंटरफ़ेस भी विकसित किया गया है. वेब-पोर्टल की उपयोगिता में सुधार के लिए विभिन्न हितधारकों से प्रतिक्रिया ली जाती है.

क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग में जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है?

पीएमएवाई-यू 2.0 सभी पात्र लाभार्थियों को आवास प्रदान कर रहा है. इस योजना के अंतर्गत विधवाओं, एकल महिलाओं, दिव्यांग्जनों, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडरों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबद्ध व्यक्तियों, अल्पसंख्यकों और समाज के अन्य कमजोर और असुरक्षित वर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी. हालाँकि, रिकॉर्ड के लिए वरीयता समूह से संबंधित व्यक्तियों का प्रमाण आवश्यक है.

क्या निर्माण मामलों में महिला स्वामित्व अनिवार्य है, अर्थात् भूमि

पीएमएवाई-यू 2.0 के कार्यान्वयन से पहले ही पुरुष सदस्य के नाम पर खरीदी जा चुकी है?

इस योजना के अंतर्गत केंद्रीय सहायता से निर्मित/अधिग्रहित/खरीदे गए मकान, परिवार की महिला मुखिया के नाम पर या परिवार के पुरुष मुखिया और उसकी पत्नी के संयुक्त नाम पर

होने चाहिए और केवल उन मामलों में जब परिवार में कोई वयस्क महिला सदस्य न हो, मकान परिवार के पुरुष सदस्य के नाम पर हो सकता है. जिन मामलों में आवेदक विधुर, अविवाहित, पृथक व्यक्ति या ट्रांसजेंडर है, मकान व्यक्ति के नाम पर बनाया जाएगा. लाभार्थी(यों) की मृत्यु की स्थिति में, लाभार्थी के कानूनी उत्तराधिकारी को योजना के अंतर्गत लाभ मिलेगा.

क्या मकानों के निर्मित हो जाने या निर्माणाधीन होने पर नियमित अंतराल पर उनकी गुणवत्ता की निगरानी हेतु कोई तंत्र है?

हाँ, पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत निर्मित किए जा रहे घरों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए,

अन्य पक्ष गुणवत्ता निगरानी एजेंसियों (TPQMA) द्वारा नियमित आधार पर निगरानी की जाएगी.

निर्माण से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान संबंधित राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किया जाएगा.

यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जाएंगे कि पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत मकान को लाभार्थियों द्वारा उप-पट्टे/ किराए पर न दिया जाए?

पीएमएवाई-यू 2.0 योजना के अंतर्गत निर्मित आवास केवल आवासीय उद्देश्य के लिए होगा और इसका उपयोग किसी अन्य गतिविधि के लिए नहीं किया जाएगा. लाभार्थी, आवास के निर्माण की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि तक पीएमएवाई-यू 2.0 योजना के अंतर्गत निर्मित आवास को न तो बेचेंगे/न ही हस्तांतरित करेंगे/न ही उप-पट्टे/न ही किराए पर देंगे.

ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) का उद्देश्य क्या है?

पीएमएवाई-यू 2.0 योजना का आईएसएस वर्टिकल ईडबल्यूएस/एलआईजी/एमआईजी परिवारों को आवास ऋण पर सब्सिडी का लाभ प्रदान करेगा.

आईएसएस वर्टिकल के अंतर्गत ब्याज सब्सिडी की पात्रता की अंतिम तिथि क्या है?

ईडब्ल्यूएस/एलआईजी और एमआईजी के पात्र लाभार्थियों को मकान खरीदने/पुनः खरीदने/निर्माण के लिए 01.09.2024 या उसके बाद स्वीकृत और आबंटित आवास ऋणों पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी.

इस वर्टिकल के अंतर्गत कितनी सब्सिडी स्वीकार्य है?

आईएसएस के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को अधिकतम ₹1.80 लाख की सब्सिडी दी जाएगी.

आईएसएस वर्टिकल के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करने हेतु कौन पात्र है?

ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) श्रेणियों के लाभार्थी जिनकी वार्षिक घरेलू आय 3 लाख रुपये तक है, 3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये तक के एलआईजी (निम्न आय वर्ग) के लाभार्थी और आय सीमा 6 लाख रुपये से 9 लाख रुपये तक के एमआईजी (मध्यम आय वर्ग) के लाभार्थी, आईएसएस योजना के लिए पात्र होंगे.

आईएसएस वर्टिकल के अंतर्गत सब्सिडी प्राप्त करने से लाभार्थी को किस प्रकार लाभ मिलेगा?

आईएसएस के तहत सब्सिडी लाभार्थी के आवास ऋण खाते में अग्रिम रूप से जमा कर दी जाएगी और बकाया मूलधन जमा की गई सब्सिडी राशि के अनुपात में कम कर दिया जाएगा. इसके परिणामस्वरूप पात्र लाभार्थियों की ईएमआई/ऋण अवधि कम हो जाएगी.

ब्याज सब्सिडी योजना के लिए आवेदन करने हेतु कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?

आईएसएस लाभ प्राप्त करने के लिए दस्तावेजों में पहचान का प्रमाण (आधार कार्ड और पैन कार्ड), पते का प्रमाण, आय प्रमाण पत्र, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय या पीएलआई द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज शामिल हो सकते हैं.

योजना के तहत ब्याज सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी कैसे आवेदन करेगा?

सब्सिडी प्राप्त करने के इच्छुक लाभार्थी को अपनी मांग दर्ज करनी होगी और यूनिफाइड वेब पोर्टल के माध्यम से आवास ऋण के लिए पीएलआई विवरण प्रदान करना होगा.

मुझे कैसे ज्ञात होगा कि मैं आईएसएस के लिए पात्र हूँ या नहीं?

लाभार्थी यूनिफाइड वेब पोर्टल पर आईएसएस के अंतर्गत निम्नलिखित पात्रता मानदंडों के आधार पर अपनी पात्रता का पता लगा सकते हैं:

i. अधिग्रहित/ निर्मित घर के अलावा भारत में कहीं भी कोई घर न होने का वचन पत्र.

ii. पिछले 20 वर्षों में किसी भी आवास योजना के अंतर्गत लाभ न लेने की घोषणा.

iii. घरेलू आय ₹9 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं.

iv. आवास ऋण ₹25 लाख से अधिक नहीं.

v. मकान का मूल्य ₹35 लाख से अधिक नहीं.

vi. मकान का कारपेट एरिया 120 वर्ग मीटर से अधिक नहीं.

लाभार्थी को ब्याज सब्सिडी कैसे जारी की जाएगी?

सब्सिडी ऋण खातों में डीबीटी के माध्यम से 5 वार्षिक किश्तों में जारी की जाएगी, बशर्ते सब्सिडी जारी होने के समय ऋण मानक और चालू हो और 50% से अधिक मूलधन बकाया हो.

सब्सिडी के लिए पात्रता हेतु अधिकतम ऋण राशि और आवास की अधिकतम कीमत कितनी है?

इस योजना के अंतर्गत केवल ₹25 लाख तक के ऋण और ₹35 लाख तक के मकान ही सब्सिडी के पात्र होंगे. यह योजना मेट्रो और गैर-मेट्रो शहरों पर लागू है.

क्या कोई लाभार्थी 12 वर्ष से कम अवधि के लिए ऋण लेकर भी सब्सिडी पाने का पात्र हो सकता है?

हाँ, लेकिन सब्सिडी पाने के लिए ऋण की अवधि कम से कम 5 वर्ष होनी चाहिए.

क्या आईएसएस वर्टिकल के तहत आवेदन करते समय लाभार्थियों से प्रोसेसिंग शुल्क लिया जाएगा?

पीएलआई इस योजना के तहत पात्र ऋण राशि तक के आवास ऋणों के लिए लाभार्थी से कोई प्रोसेसिंग प्रभार नहीं लेगा.

क्या मैं आईएसएस वर्टिकल के अंतर्गत लाभ के लिए आवेदन करने के बाद अपने आवेदन की स्थिति/सब्सिडी रिलीज़ की जाँच कर सकता/सकती हूँ?

आवेदक अपने आवेदन की स्थिति जैसे पंजीकरण, सम्यक आंकलन प्रक्रिया (due diligence), दावे की स्वीकृति और सब्सिडी रिलीज़ की तिथि और राशि आदि की जाँच अपने विशिष्ट यूज़र कोड/आवेदन आईडी/पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करके यूनिफाइड वेब पोर्टल पर जाकर या मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से कर सकते हैं.

किन परिस्थितियों में लाभार्थी के सक्रिय ऋण खाते पर सब्सिडी देने से इन्कार किया जा सकता है?

यदि लाभार्थी का ऋण खाता एनपीए है या बकाया मूल ऋण राशि 50% से कम है, तो लाभार्थी को सब्सिडी जारी नहीं की जाएगी.

क्या सब्सिडी राशि निश्चित है या यह ऋण राशि पर निर्भर करती है?

सब्सिडी राशि निश्चित नहीं है और यह ऋण राशि पर निर्भर करती है. हालाँकि,12 वर्ष की अवधि के लिए दिए गए ₹8 लाख के ऋण पर अधिकतम ब्याज सब्सिडी सीमा केवल ₹1.80 लाख तक ही स्वीकार्य है. यदि ऋण राशि ₹8 लाख से कम है या अवधि 12 वर्ष से कम है, तो सब्सिडी राशि कम कर दी जाएगी और आनुपातिक आधार पर गणना किया जाएगा. लाभार्थी ₹8 लाख से लेकर अधिकतम ₹25 लाख तक का ऋण ले सकता है,लेकिन ₹8 लाख से अधिक के ऋण पर सब्सिडी नहीं दी जाएगी.

आइएसएस वर्टिकल के अंतर्गत मकान का अधिकतम अनुमत कार्पेट क्षेत्र कितना है?

इस घटक के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस/ एलआईजी और एमआईजी के लिए मकान का कार्पेट क्षेत्र 120 वर्ग मीटर होगा.

प्राथमिक ऋण संस्थान (पीएलआई) कौन हैं?

किसी भी सीएनए के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले उधारकर्ताओं को व्यक्तिगत आवास ऋण प्रदान करने वाले वित्तीय संस्थानों को इस योजना के प्रयोजन के लिए पीएलआई कहा जाता है.

क्या लाभार्थी आईएसएस के अंतर्गत सब्सिडी के दावा के तहत मकान बनाने के लिए भूमि खरीदने हेतु ऋण मिलेगा?

नहीं, जमीन खदीदने हेतु सब्सिडी नहीं मिलेगी.

यदि ईडब्ल्यूएस/ एलआईजी और एमआईजी के लाभार्थी अपनी जमीन पर मकान निर्माण करना चाहते हैं तो क्या वे आईएसएस के अंतर्गत सब्सिडी के पात्र हैं.

हां, किंतु योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार मकान का कार्पेट क्षेत्र 120 वर्ग मीटर से कम होना चाहिए.

क्या लाभार्थी आईएसएस के अंतर्गत सीधे प्राथमिक ऋण संस्थाओं (पीआईएल) के माध्यम से सब्सिडी अप्लाई करने का पात्र हैं?

नहीं, आएसएस वर्टिकल का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी को पीएमएवाई-यू यूनिफाइड बेव पोर्टल के माध्यम से ही आवेदना करना होगा.

क्या आईएसएस के तहत सब्सिडी मरम्मत कार्य या वृद्धिशील निर्माण गतिविधि जैसे कि मौजूदा मकान में रसोई, बाथरूम आदि का निर्माण करने के लिए लागू होगी?

नहीं.

क्या अनौपचारिक क्षेत्रों के लाभार्थी आईएसएस के अंतर्गत सब्सिडी के पात्र होंगे.

हाँ, इस योजना के पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले अनौपचारिक श्रमिक जैसे रेहड़ी-पटरी वाले, छोटे दुकानदार, सेवा प्रदाता, ड्राइवर, चौकीदार आदि ऋण सब्सिडी के लिए पात्र होंगे.

क्या पीएलआई को पुनर्विक्रय मामलों में विक्रेताओं के आधार यूआईडी को डेटाबेस संदर्भ के लिए संग्रहीत और मास्क करना आवश्यक है?

हाँ, आधार डेटा को मास्क्ड रूप में संग्रहीत किया जा सकता है और पीएलआई द्वारा यूनीफाइड वेब पोर्टल पर साझा किया जा सकता है ताकि यह जांचा जा सके कि वर्तमान निवासी का दावा शुरू करने से पहले, पिछले मालिक ने सब्सिडी का लाभ नहीं लिया है.

क्या लाभार्थी के अविवाहित या अव्यस्क बच्चों का आधार संग्रहण अनिवार्य है

हां, एक लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी, अविवाहित पुत्र और /या अविवाहित पुत्री होंगे. ईडब्ल्यूएस/ एलआईजी/ एमआईजी खंड, शहरी क्षेत्र में निवासी, पक्का मकान के स्वामी नहीं होने चाहिए.

डुप्लीकेशन हटाने के दौरान आधार संबंधी विसंगतियों को प्राथमिक ऋण संस्थाओं (पीएलआई) को कैसे संभालना चाहिए?

विसंगति की स्थिति में, प्राथमिक ऋण संस्थाओं को पोर्टल पर जाँच के लिए लाभार्थी का अद्यतन आधार माँगना चाहिए. जिन आवेदकों ने पिछले 20 वर्षों में केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय स्वशासन की किसी भी मकान योजना का लाभ उठाया है, वे पीएमएवाई-यू 2.0 के लिए पात्र नहीं होंगे.

मृत व्यक्तियों के आधार विवरण को बनाए रखने और साझा करने की प्रक्रिया क्या है?

मृत व्यक्ति के मामले में आधार की कोई आवश्यकता नहीं है.

लाभार्थियों को यूनिफाईड वेब पोर्टल के माध्यम से सब्सिडी के लिए कैसे आवेदन करना चाहिए और यदि वे 30-दिवसीय पंजीकरण समय-सीमा से चूक जाते हैं तो क्या कदम उठाने होंगे?

आईएसएस वर्टिकल के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए, पीएलआई लाभार्थी आवास ऋण के संवितरण की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर उचित माध्यम से सब्सिडी राशि का दावा करेगा; अन्यथा, यह पीएलआई की जिम्मेदारी होगी.

क्या कोई उधारकर्ता बाद में भुगतान प्राप्त करने के बाद यूडब्ल्यूपी पर आवेदन कर सकता है? क्या उन्हें सब्सिडी की प्रारंभिक किश्त अभी भी मिलेगी?

नहीं, पीएलआई लाभार्थी आवास ऋण के संवितरण की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर उचित माध्यम से सब्सिडी राशि का दावा करेगा; अन्यथा, यह पीएलआई की ज़िम्मेदारी होगी.

क्या ग्राहक के लिए आवेदन के बाद पोर्टल पर अपनी चयनित पीएलआई को बदलना संभव है? किन शर्तों के अधीन है?

हाँ.

लाभार्थी आवासों की जियो-टैगिंग की प्रक्रिया क्या है, और इस डेटा को अपलोड करने के लिए कौन से प्रारूप अपेक्षित हैं?

भुवन/भारत एचएफए/पीएमएवाई मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से घरों की जियो-टैगिंग, उनके भू-स्थानिक स्थान के साथ, संबंधित पीएलआई/लाभार्थी द्वारा भुगतान योजना के अनुसार किया जाना आवश्यक है. पूर्ण हो चुके मकान की खरीद के मामले में, पहली किश्त जारी

होने के बाद घरों की जियो-टैगिंग की जानी है. निर्माण/ निर्माणाधीन मकान के मामले में, प्रत्येक किश्त जारी होने से पहले जियो-टैगिंग की जानी है. पीएलआई द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना है कि लाभार्थी को चौथी किश्त जारी करने से पहले पूर्ण हो चुके मकान की जियो-टैगिंग एमआईएस में दर्ज हो जाए.

क्या पीएलआई को दावा निरस्त/अनुमोदन के लिए यूडब्ल्यूपी के माध्यम से स्वचालित सूचनाएं प्राप्त होंगी?

हाँ.

क्या कोई ग्राहक यूडब्ल्यूपी पर दोबारा आवेदन कर सकता है यदि उसकी पिछली मांग निरस्त कर दी गई है?

हाँ, ग्राहक अपना आवेदन संशोधित कर सकते हैं.

लॉक-इन अवधि से पहले संपत्तियों के पुनर्विक्रय या हस्तांतरण के मामलों में, क्या जमा की गई सब्सिडी वापस की जानी चाहिए?

हाँ.

यदि कोई उधारकर्ता अपना ऋण समय से पहले या बीमा निपटान के माध्यम से चुकाता है, तो क्या जमा की गई सब्सिडी वापस ली जा सकती है?

नहीं. बाद की सब्सिडी निरस्त कर दी जाएगी.

क्या "भूमि खरीद + निर्माण" ऋण आईएसएस योजना के तहत सब्सिडी के लिए पात्र हैं?

हाँ, बशर्ते कि भूमि खरीद और निर्माण के लिए दिया गया ऋण केवल ₹25 लाख तक सीमित हो और भूमि की लागत + निर्माण लागत ₹35 लाख से अधिक न हो और निर्मित मकान का आकार 120 वर्ग मीटर से अधिक न हो.

आंशिक संवितरण या कई किश्तों में निर्माण वाले ऋणों के लिए सब्सिडी की गणना कैसे की जाती है?

सब्सिडी की गणना केवल आंशिक संवितरण पर की जाएगी. अधिकतम 1,80,000/- तक की सब्सिडी 5 वार्षिक किश्तों में जारी की जाएगी. प्राथमिक ऋण संस्थानों (पीएलआई) को

ऋण खाते की स्थिति और मकान निर्माण की स्थिति की जाँच के बाद सालाना सब्सिडी के लिए अनुरोध करना अनिवार्य है.

क्या महिला के साथ संयुक्त स्वामित्व पात्रता मानदंडों को पूरा करता है, या स्वामित्व पूरी तरह से उसके नाम पर होना चाहिए?
यह योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार होना चाहिए.

क्या कोई भी अविवाहित (महिला/पुरुष) सब्सिडी के लिए पात्र होगा?
हाँ, केवल तभी जब लाभार्थी घर का एकमात्र मालिक हो और उसने अकेले ऋण लिया हो. यदि उधारकर्ता अविवाहित है और कमाता है, तो वह माता-पिता/भाई-बहनों के साथ ऋण ले सकता है.

क्या उधारकर्ता के आश्रित माता-पिता या पति/पत्नी "लाभार्थी परिवार" की परिभाषा में शामिल हैं?
हाँ.

यदि परिवार के किसी सदस्य के पास खाली प्लॉट है, तो क्या वह इस योजना का लाभ उठाने के लिये योग्य नहीं है ?
नहीं

क्या एनआरआई इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, यदि वे अन्य सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं?
नहीं, यह योजना भारतीय नागरिकों के लिए ही उपलब्ध है.

क्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए जाति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है?
स्व-घोषणा की अनुमति है.

यदि कोई ग्राहक एनपीए के बाद अपने ऋण को नियमित कराता है, तो क्या वह आगामी सब्सिडी किस्तों के लिए पात्र होगा?
हां, पीएलआई अनुपालन पूरा कर सकता है और सब्सिडी का दावा कर सकता है.

क्या घोषणाएँ नोटरीकृत स्टाम्प पेपर पर प्राप्त करना आवश्यक है, या स्व-सत्यापित प्रतियाँ पर्याप्त होंगी?

लाभार्थी द्वारा स्व-घोषणा की जा सकती है. हालाँकि, लाभार्थी परिवार की आय पात्रता का आकलन करने के लिए प्राथमिक ऋण संस्थानों (पीएलआई) द्वारा लाभार्थी परिवार की आय पर किया गया ऋण मूल्यांकन अंतिम माना जाएगा.

क्या सभी संपत्तियों के लिए लेआउट प्लान एकत्र करना अनिवार्य है, या कुछ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में छूट लागू है?

यह सब्सिडी उन लाभार्थियों को प्रदान की जाएगी जिन्होंने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के दिशानिर्देशों के अनुसार पीएलआई को अनुमोदित लेआउट प्लान प्रस्तुत किया है. हालाँकि, जिन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने मान्य अनुमोदन या पूर्व-अनुमोदित भवन योजना के प्रावधान वाले आवासों के निर्माण के लिए छूट प्रदान की है, वहाँ पीएलआई द्वारा लेआउट प्लान पर ज़ोर नहीं दिया जा सकता है.

क्या पीएलआई को अपनी घोषणाओं में यह खंड शामिल करना चाहिए कि उधारकर्ताओं से लिए गए प्रशासनिक प्रभार वापस नहीं किए जाएँगे?

नहीं. पीएलआई 8 लाख रुपये तक की पात्र ऋण राशि के आवास ऋणों के लिए लाभार्थी से कोई प्रसंस्करण शुल्क (किसी भी छिपे हुए शुल्क सहित) नहीं लेगी.

क्या पीएलआई को प्रत्येक लाभार्थी के लिए सीएनए द्वारा वितरित सब्सिडी की सूचना दी जाएगी?

हाँ.

केंद्रीय नोडल एजेंसियों (सीएनए) को उपयोगिता एवं अंतिम उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की समय-सीमा एवं प्रक्रिया क्या है?

पीएलआई को लाभार्थी को ऋण संवितरण के 30 दिनों के भीतर पहली सब्सिडी का दावा करना आवश्यक है. ऋण खाते के लिए बाद की सब्सिडी का दावा वार्षिक आधार पर किया जा सकता है. पीएलआई को लाभार्थी/यों के खाते में जमा की गई सब्सिडी का विवरण देते हुए एक यूसी/अंतिम उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा.

पीएलआई को ग्राहकों को दावे हेतु अस्वीकृति या विसंगतियों को कैसे सूचित करना चाहिए?

यूडब्ल्यूपी के माध्यम से अस्वीकृति के कारण के साथ एक त्रुटि रिपोर्ट तैयार की जाएगी.

एकीकृत वेब पोर्टल पर एक साथ कई दावे अपलोड करने की प्रक्रिया क्या है?

दावों को एकीकृत वेब पोर्टल पर केस-टू-केस आधार पर अपलोड किया जाएगा.

पोर्टल पर दावा करने के लिए निर्माण की कौन सी अवधि और चरण पूरे होने चाहिए?
आवास का निर्माण पूरा हो जाना चाहिए और सब्सिडी की चौथी किस्त का दावा करने से पहले उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी) जमा कर दिया जाना चाहिए.

यदि 1 सितंबर 2024 से पहले स्वीकृत ऋणों को इस तारीख के बाद संशोधित किया जाता है, तो क्या वे आईएसएस लाभों के लिए पात्र होंगे?
नहीं.

पीएलआई, एकीकृत पोर्टल के माध्यम से सत्यापन करते समय प्रति संपत्ति एकल सब्सिडी कैसे सुनिश्चित करेगा?
इस योजना के तहत सब्सिडी किसी संपत्ति के लिए केवल एक बार ही प्रदान की जाएगी। यदि संपत्ति किसी और को बेची जाती है, तो खरीदार उस संपत्ति पर आईएसएस का लाभ नहीं ले सकता. पीएलआई को वर्तमान निवासी के दावे को शुरू करने से पहले एकीकृत वेब पोर्टल पर जांच करके यह सुनिश्चित करना है कि पिछले मालिक द्वारा सब्सिडी का लाभ न लिया गया हो.

क्या पीएमएवाई-यू 2.0 पिछली योजना के दिशानिर्देशों या इसके मूल सिद्धांतों को प्रभावित करता है?
ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) वर्टिकल को पीएमएवाई-यू 2.0 के योजना दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यान्वित किया जाता है.

पीएमएवाई-यू 2.0 के आईएसएस वर्टिकल के तहत ₹1.80 लाख की सब्सिडी प्राप्त करने के लिए क्या मानदंड है?
योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, आईएसएस वर्टिकल के तहत, ₹9 लाख तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले पात्र लाभार्थियों को अधिकतम ₹1.80 लाख रुपये की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है. 120 वर्ग मीटर तक के कारपेट एरिया वाले 35 लाख रुपये तक की संपत्ति के लिए 25 लाख रुपये तक का आवास ऋण, 12 वर्ष तक की अवधि के लिए पहले ₹8 लाख पर 4.0% की दर से सब्सिडी के लिए पात्र हैं.

क्या पीएलआई की एक उपयोगकर्ता आईडी एकाधिक उपयोगकर्ताओं के लिए कार्यात्मक हो सकती है?

नहीं. हालाँकि, पीएलआई एडमिन के पास कई उप-उपयोगकर्ता बनाने का प्रावधान है.

क्या बेहतर प्रबंधन के लिए पीएलआई को शाखा-स्तरीय पहुँच प्रदान की जाएगी?
हाँ. पीएलआई को अपनी सुविधानुसार शाखा स्तर तक उपयोगकर्ता बनाने की अनुमति है.

क्या आवास ऋण संवितरित होने के बाद, लाभार्थी की ओर से सब्सिडी का दावा करने के लिए पीएलआई ज़िम्मेदार है?
हाँ. पीएलआई, लाभार्थियों को ऋण संवितरित होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर एकीकृत वेब पोर्टल के माध्यम से सब्सिडी का दावा करने के लिए ज़िम्मेदार है, अन्यथा सब्सिडी का दावा न किए जाने के लिए पीएलआई ज़िम्मेदार होगा (योजना दिशानिर्देशों का पृष्ठ 53).

क्या लाभार्थी आवेदन पत्र जमा करने के बाद, ऋण संवितरित होने पर गलत तरीके से चयनित वर्टिकल को परिवर्तित/आशोधित कर सकता है?
पीएमएवाई-यू 2.0 के आईएसएस वर्टिकल के अंतर्गत, लाभार्थियों को ऋण संवितरण के बाद सब्सिडी का दावा स्वीकार्य है. इसलिए दावे के लिए अनुरोध पीएलआई द्वारा किया जाना चाहिए. अतः आवेदन में परिवर्तन/आशोधन की आवश्यकता नहीं है.

यदि कोई लाभार्थी 5 पीएलआई का चयन करता है और उनमें से किसी एक पीएलआई ने आवास ऋण दे दिया है, तो क्या होगा?
आवेदक की पसंद के आधार पर 5 पीएलआई में से किसी एक द्वारा आवास ऋण स्वीकृत होने पर, आवास ऋण प्राप्त करने के लिए पोर्टल से आवेदन पत्र अक्षम कर दिया जाएगा.

क्या वार्षिक घरेलू आय गणना में कटौती के बिना सकल आय या कटौती के बाद निवल आय पर विचार किया जाना चाहिए?
परिवार की सकल आय को वार्षिक पारिवारिक आय माना जाएगा.

क्या ग्राहक अपने पूर्ण हो चुके मकान के 5 वर्ष के भीतर भुगतान के अपने स्रोत के माध्यम से ऋण को बंद कर सकता है, ऐसी स्थिति में जमा की गई आंशिक सब्सिडी ग्राहक से वसूल की जाएगी?
लॉक-इन अवधि (5 वर्ष) के भीतर ऋण के समय से पहले बंद होने की स्थिति में सब्सिडी बंद कर दी जाएगी तथा जमा की गई आंशिक सब्सिडी लाभार्थी से वसूल की जाएगी.

ग्राहक की मृत्यु हो जाने तथा ऋण बंद करने के लिए बीमा का निपटान हो जाने की स्थिति में, क्या पीएलआई को सब्सिडी वसूलने की आवश्यकता है, क्योंकि ऋण 5 वर्ष के भीतर बंद हो गया है.

मृत्यु की स्थिति में, मृतक के परिवार के सदस्यों से सब्सिडी की वसूली नहीं की जा सकती. हालाँकि, केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनएस) को सूचित करते हुए, सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ मामला बंद किया जा सकता है.

आंशिक रूप से वितरित ऋणों के लिए सब्सिडी की गणना कैसे की जाती है?

सब्सिडी की गणना केवल संवितरित ऋण राशि के अनुपातिक आधार पर की जाएगी.

पीएलआई यह कैसे सत्यापित कर सकते हैं कि लाभार्थी या उनके परिवार ने पहले योजना का लाभ उठाया है या नहीं?

पीएलआई को ऋण संवितरण से पहले सम्यक आंकलन प्रक्रिया (due diligence) का पालन करना होगा, तथा एकीकृत वेब पोर्टल में आवश्यक प्रावधान किए गए हैं.

यदि ऋण समय पूर्व बंद कर दिया जाता है या संपत्ति लॉक-इन अवधि के भीतर बेच दी जाती है तो क्या सब्सिडी वसूली अनिवार्य है?

हां

यदि किसी संपत्ति का उपयोग गैर-आवासीय उद्देश्यों के लिए किया जाता है तो इसका क्या आशय होगा?

पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत घरों का उपयोग केवल आवासीय उद्देश्य के लिए किया जाएगा और किसी अन्य गतिविधि के लिए नहीं और इसे लाभार्थियों द्वारा स्व-प्रमाणित किया जाएगा. ऐसा न होने पर, सब्सिडी बंद कर दी जाएगी और पहले से ली गई राशि की वसूली की जाएगी.